



2026:AHC:11569

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ख संख्या - 111/2026

रामजी

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 21 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के वकील : आशुतोष तिवारी

विरोधी पक्ष(ओं) के वकील : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. प्रस्तुत रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"1. एक रिट, आदेश या निर्देश, जो मैडमस की प्रकृति का हो, जारी किया जाए; जिसमें गाज़ीपुर के माननीय चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी को यह निर्देश दिया जाए कि वे यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 11 के तहत, मौजा-महमूदपुर हथनी, परगना और तहसील-सैदपुर, जिला-गाज़ीपुर से संबंधित अपील संख्या 0271/2019 (मोती और अन्य बनाम देवनाथ और अन्य) [कंप्यूटर केस संख्या 2019541429000271] का निर्णय, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित एक निश्चित समय-सीमा के भीतर करें।"

3. यह निवेदन है कि विरोधी प्रतिवादियों की ओर से दायर अपील, जिसमें समेकन अधिकारी द्वारा दिनांक 21.02.2019 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है, दिनांक 27.02.2019 से समेकन निपटान अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है; जबकि अपील में विरोधी पक्ष (जो यहाँ याचिकाकर्ता हैं) पहले ही उपस्थित हो चुका है और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को उपर्युक्त मामले के शीघ्र निपटारे हेतु निर्देश जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

5. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा; अतः, यह न्यायालय इसे अंतिम रूप से निपटाना उचित समझता है।

5. इस संदर्भ में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा; इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करना उचित समझता है। ऐसा करते समय, न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, बल्कि यह निर्देश दे रहा है कि चकबंदी के निपटारा अधिकारी, गाजीपुर (प्रतिवादी संख्या 2)–जिनके समक्ष उपर्युक्त मामला विचाराधीन है–वे कानून के अनुसार, शीघ्रता से (और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर) उस मामले पर विचार करें और उसका निर्णय करें।

6. यह अपेक्षा की जाती है कि इसका निर्णय कानून के अनुसार, एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश द्वारा किया जाए; और ऐसा संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, तथा किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना किया जाए।

7. उपर्युक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

जनवरी 17, 2026

नीतू

(माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

“Translated, Corrected & Authenticated by SHIKHAR CHANDRA

(ADVOCATE) HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

A.O.R - A/S1272/2022

UP REGN. No. UP09028/2020”

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”